कृषि उपज समिति, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04/2011 से 03/2014

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्योगिक उपज (विकास एवम विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 48 (2) के दृष्टिगत, कृषि उपज विपणन समिति पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी कृषि उपज सीमित पांवटा साहिब में सचिव एवं आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत्त रहेः–

अवधि	सचिव का नाम
श्री राघव सूद	01.04.11 से 04.08.13
श्री कुदंन सिंह चौहान	05.08.13 से 31.03.14

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	5 (घ)	बैंकों द्वारा सावधिक जमाओं पर प्रदत्त ब्याज में से स्त्रोत पर काटे गये आयकर को वापिस प्राप्त न करना	0.30
2	6	रोकड़ बही में वित्तीय लेन–देन का लेखाँकन न करना	245.03
3	9	अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल विपणन समिति द्वारा विपणन बोर्ड में अधिक राशि जमा करना	3.68
4	10	दुकानों/गोदामों के प्राप्त किराये पर नियमानुसार देय सेवाकार को किरायेदारों से न वसूलने के कारण सरकारी खजाने को आय की हानि का होना	1.88
5	11	दुकानों/गोदामों से प्राप्त होने वाले किराये की राशि का वसूली योग्य शेष पाया जाना	2.57
6	14	तहसीलदार वसूली के माध्यम से निर्धारित की गई किराये की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.55
7	15	अनुबन्ध की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार दुकानदारों द्वारा दुकानों का किराया विलम्ब से जमा करवाने पर भी देय दण्ड शुल्क (penality) की वसूली न करना	2.70
8	20	चैक पोस्ट/बैरियरों पर वसूल किये जा रहे चक्रवृद्धि शुल्क की निर्धारित दर की अपेक्षा कम दर से वसूली करने के कारण सम्भावित हानि का होना	0.35
9	22	वेतन निर्धारण के उपरान्त देय अगली वार्षिक वेतन वृद्धि का गलत नियतन के कारण वेतन/भत्तों का अनियमित भुगतान करना	0.55

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकन करने पर पाया गया कि विपणन समिति द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि चिन्ता का विषय है। अतः विपणन समिति द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु ठोस कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए ताकि इन पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

कृषि उपज समिति पांवटा साहिब के अवधि 01.04.11 से 31.03.14 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दर्शाए गए है, श्री हेम राज भारद्वाज (सहायक नियन्त्रक) द्वारा दिनाँक 25.08.14 से 01.11.14 के दौरान विपणन समिति पांवटा साहिब स्थित कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 03/2012, 09/2012, 07/2013 तथा व्यय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 06/2011, 09/2012, 12/2013 का चयन किया गया।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन कृषि उपज समिति पांवटा साहिब द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा सूचना/अभिलेख को उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

कृषि उपज समिति पांवटा के अवधि 04/11 से 03/14 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–459/92 फिन (एल0ए0) पार्ट, दिनाँक 26.07.2001 के दृष्टिगत ₹143711/– आंका गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखाँकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु सहायक नियन्त्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 119 दिनाँक 23.09.14 द्वारा कृषि

उपज समिति पांवटा के सचिव से अनुरोध किया गया तथा सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹143711/– हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक पौंटा साहिब के डिमांड ड्राफ्ट संख्या 393576 दिनाँक 16.10.14 के माध्यम से पंजीकृत पत्र संख्या एपीएमसी/एसी–8 (iii)/पीटीए/2014–1075 दिनाँक 16.10.14 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को भेज दी गई है:–

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय	अंकेक्षण शुल्क, व्यय का 0.5% की दर से
2011–12	10261098	51305
2012–13	8888256	44441
2013–14	9592947	47965
	योग	**₹143711**

4 **वित्तीय स्थिति :–**

(क) कृषि उपज समिति, पौंटा साहिब द्वारा प्रस्तुत समिति के अवधि 04/11 से 03/14 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय/प्राप्तियाँ		कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
		अन्य स्त्रोत	ब्याज			
2011–12	25846987.61	12943794.14	2372933	41163714.75	10261098	30902616.75
2012–13	30902616.75	12546694.00	3119645	46568955.75	8888256	37680699.75
2013–14	37680699.75	12038835.00	3513944	53233478.75	9592947	43640531.75

दिनाँक 31.03.2014 को अन्तिम शेष का विवरण

शीर्ष	रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अनुसार	बैंक के अनुसार	अन्तर	अन्तिम शेष का विवरण बैंक समाधान विवरणी सहित
बचत खाता	2921506.75	2922474.75	968	**परिशिष्ट "ख"**
सावधिक जमा खाता	40719025.00	40719025.00	शून्य	**परिशिष्ट "ख"**
कुल जोड़	**43640531.75**	**43641499.75**	**968**	

(ख) वित्तीय स्थिति का विश्लेषण:–

अंकेक्षण को वित्तीय स्थिति एवं **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक आय–व्यय का विवरण निम्न प्रकार से था:–

वित्तीय वर्ष	कुल आय	कुल व्यय	ब्याज के अतिरिक्त आय	लाईसैंस फीस से आय	विपणन शुल्क से आय	किराये से आय	वेतन व मजदूरी पर खर्च	कार्यालय व्यय
2011–12	15316727	10261098	12943794	32705	10426696	1706770	3153964	235460
2012–13	15666339	8888256	12546694	22930	10705973	2300000	3754512	244490
2013–14	15552779	9592947	12038835	20700	10441268	1523500	4684444	297019

उक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि समिति की कुल आय अंकेक्षण अवधि में लगभग स्थिर ही रही है किन्तु ब्याज छोड़कर जो वास्तविक आय है वह हर वर्ष लगातार घट रही है जैसे वर्ष 2011–12 की यह आय ₹12943794/– से घटकर वर्ष 2013–14 में ₹12038835/– रह गई अर्थात आय **7%** घट गई। विपणन शुल्क से वर्ष 2012–13 में प्राप्त आय ₹10705973/–से घटकर 2013–14 में ₹10441268/– रह गई, लाईसैन्स फीस से वर्ष 2011–12 में प्राप्त आय ₹32705/– से घटकर वर्ष 2013–14 में ₹20700/– रह गई तथा किराये के रूप में वर्ष 2012–13 में प्राप्त आय ₹2300000 से घटकर वर्ष 2013–14 में ₹1523500/– रह गई। इसके विपरीत वेतन व मजदूरी तथा कार्यालय व्यय पर हर वर्ष लगातार वृद्धि हो रही है। इन शीर्षों में वर्ष 2011–12 में यह व्यय क्रमशः ₹3153964 तथा ₹235460/– से बढ़कर वर्ष 2013–14 में क्रमशः ₹4684444/– व ₹297019 हो गया। इस प्रकार वास्तविक आय का घटना तथा वेतन व मजदूरों एवं कार्यालय व्यय का बढ़ना चिन्ता का विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि आय की बढ़ौत्तरी हेतु उचित विशेष पग उठाये जाने सुनिश्चित किए जाएं अर्थात लाईसैन्स धारकों के लेखों का मूल्यांकन करते हुए मण्डी शुल्क का निर्धारण करना, बिना लाईसैन्स के कारोबार कर रहे कारोबारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए चक्रवृद्धि दर से मण्डी शुल्क की वसूली करना तथा दुकानों व गोदामों के किराये की नियमानुसार निश्चित अवधि के उपरान्त बढ़ौतरी करके किराये की समयानुसार वसूली सुनिश्चित करना इत्यादि ताकि समिति की आय में बढ़ौतरी हो तथा समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके।

5 **निवेशः–**

(क) कृषि उपज समिति द्वारा दिनाँक 31.3.14 सावधि जमा योजना में ₹40719025 का निवेश किया गया है जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** पर दिया गया है।

(ख) बैंक द्वारा सावधिक जमा परिपक्वता पर ₹1653/– का ब्याज कम देनाः–

निम्नलिखित प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर देय राशि की अपेक्षा कम ब्याज दिया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंक से मामला उठाकर

तथा छानबीन करके कम दिए गए ब्याज की राशि को वापिस प्राप्त करके समिति की निधि में भरपाई की जायेः–

सावधिक जमा रजिस्टर पृ0सं0	बैंक का नाम/सावधिक जमा खाता या रसीद सं0	निवेशित राशि	निवेश/ परिपक्वता तिथि	निवेश की अवधि	ब्याज की दर	परिपक्वता/ ब्याज की राशि जो प्राप्त हुई	परिपक्वता/ ब्याज की राशि जो प्राप्त होनी चाहिए थी	अन्तर ब्याज का जो कम प्राप्त हुआ
7	SBP-Paonta/ 65094044994	1500000	26.10.10/ 03.05.12	555D or 18M8D	7.75%	1685544/ 185544	1685902/ 185902	358
10	SBI-Paonta/ 0031675311532	1500000	15.03.11/ 20.09.12	555Dor18 M5D	9.25%	1721868/ 721868	1722715/ 722715	847
12	SBP-Paonta/ 65137521469	2383835	30.03.12/ 24.01.13	300D/or9 M25D	10%	2584713	2584713	शून्य
19 (old)	SBI-Paonta/ 0888143	1441346	22.10.08/ 19.07.11	1000D/or 32M28D	10.5%	1914949/ 473603	1915397/ 474051	448
							कुल जोड़	**1653**

(ग) सावधिक जमा की परिपक्वता राशि का पुनः सावधिक जमा में देरी से निवेश करने अथवा बचत खाते में देरी से जमा करने के कारण ब्याज के रूप ₹4071/– की आय की सम्भावित हानि का होनाः–

निम्नलिखित प्रकरणों में बैंक द्वारा सावधिक जमा की परिपक्वता पर प्राप्त राशि को पुनः सावधिक जमा में देरी से निवेश करने अथवा बचत खाते में देरी से जमा करने के कारण विपणन समिति को कम से कम बचत खाते में औसतन 4**%** की दर से प्राप्त होने वाली ब्याज की सम्भावित ₹4071/– की हानि हुई है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में सावधि जमा की परिपक्वता पर प्राप्त राशि को यथासमय सावधिक जमा में पुनः निवेश करवाया जाए अथवा बचत खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

सावधिक जमा रजिस्टर पृ0सं0	बैंक का नाम/ सावधि जमा खाता या रसीद संख्या	परिपक्वता पर प्राप्त राशि	परिपक्वता तिथि	पुनः निवेश की तिथि	पुनः निवेश में देरी की अवधि	ब्याज आय की सम्भावित हानि @ 4%	अभियुक्ति
8	P&SB-Paonta/561770	1441369	28.12.12	31.12.12	3 Days	474	IDBI बैंक में पुनः निवेश
10	SBI-Paonta/0031675311532	1721868	20.09.12	25.09.12	5 Days	943	बचत खाते में जमा
12	SBP-Paonta/65137521469	2584713	24.01.13	28.01.13	4 Days	1133	बचत खाते में जमा
15	HPCO-OP Bank-Paonta/56230300485	2772483	05.06.12	06.06.12	1 Days	304	बचत खाते में जमा
17	SBI-Paonta/305360427	2220626	20.07.13	25.07.13	5 Days	1217	बचत खाते में जमा
				कुल जोड़		**₹4071**	

(घ) बैंकों द्वारा सावधि जमाओं पर प्रदत्त ब्याज में से स्त्रोत पर काटे गये ₹30816/– के आयकर को वापिस प्राप्त न करनाः–

समिति द्वारा निवेशों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि बैंकों द्वारा सावधिक जमाओं पर प्रदत्त ब्याज में से स्त्रोत पर पहले आयकर की कटौती की जा रही थी तथा काटी गई राशि को वापिस कर दिया गया था क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26AAB) के अन्तर्गत कृषि उपज समिति की आय आयकर से मुक्त है किन्तु निम्नलिखित प्रकरणों में आयकर की कटौती को वापिस प्राप्त करने से सम्बन्धित कोई प्रमाण अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया जिस सम्बन्ध में अब पूर्ण छानबीन करके वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा यदि वर्णित राशि वापिस प्राप्त नहीं हुई हो तो इसे उचित स्त्रोत से वापिस प्राप्त करके समिति की निधि में भरपाई की जाये।

सावधिक जमा रजिस्टर पृ0सं0	बैंक का नाम/सावधि जमा खाता या रसीद सं0	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता पर प्राप्त योग्य राशि	परिपक्वता पर प्राप्त शुद्ध राशि	स्त्रोत पर आयकर कटौती की राशि जो वापिस प्राप्त नहीं हुई
4	OBC-Paonta/11393762000392	07.12.11	2168089	2162566	5523
5	OBC-Paonta/11393762000439	11.12.11	2245250	2237825	7425
6	OBC-Paonta/11393531000288	03.06.11	2671353	2659356	11997
8	P&SB-Paonta/561770	28.12.12	1327516	1318338	5871
				कुल जोड़	₹30816

6 रोकड़ बही में लगभग ₹245.03 लाख के वित्तीय लेन–देन का लेखाँकन न करनाः–

रोकड़ बही लेखों के रख रखाव सम्बन्धी नियम हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971 खण्ड–1 के नियम 2.2 में दिए गए है, जिसके नियम 2.2 (ii) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "All monetary transactions should be entered in the cash book as soon as they occur and attested by the head of office in token of check." परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि समिति द्वारा निम्न विवरण अनुसार लगभग ₹245.03 लाख के वित्तीय लेन–देन का रोकड़ बही में लेखाँकन ही नहीं किया गया था जोकि उक्त वर्णित नियमों की सरासर उल्लंघना है तथा एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसके कारण धन के दुर्विनियोजन/pilferage की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2011 के पैरा 5 (i) व पैरा संख्या 8 द्वारा भी अंकेक्षण आपत्ति उठाई गई थी परन्तु भी इस

अनियमितता को नियमित करने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। वास्तव में समिति द्वारा मुख्यालय पौंटा साहिब के अतिरिक्त नाहन, ददाहू व नौणी में बैंक बचत खाते खोल रखे है जिनसे उक्त स्थानों के दायरे के अन्तर्गत आने वाली उप–मण्डियों/यार्डों से प्राप्त होने वाली आय जमा की जाती है। इस आय को रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में तैयार की जा रही वित्तीय स्थिति में तो समावेश किया जा रहा है किन्तु इस आय का रोकड़ बही में लेखाँकन नहीं किया जा रहा है अर्थात समिति द्वारा केवल पौंटा साहिब स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में रखे गये बचत खाते से हो रहे वित्तीय लेन–देन का ही लेखाँकन रोकड़ बही में किया जा रहा है तथा शेष अन्य बैकों में रखे गये बचत खातों से हो रहे वित्तीय लेन–देन का लेखाँकन रोकड़ बही में नहीं किया जा रहा है। अतः यह प्रकरण विपणन बोर्ड के ध्यान में पूर्ण छानबीन करने तथा नियमानुसार उचित कार्रवाई करने हेतु लाया जाता है तथा परामर्श दिया जाता है कि समिति के सभी बैंकों के बचत/सावधि खातों सहित समिति के सम्पूर्ण वित्तीय लेन–देन का रोकड़ बही में लेखाँकन करना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से बचा जा सके और उक्त वर्णित वित्तीय नियमों का भी अनुपालना सुनिश्चित हो सकेः–

वित्तीय लेन–देन का विवरण जिसका लेखाँकन रोकड़ बही में नहीं किया

वित्तीय वर्ष	अन्य स्त्रोतों से आय	ब्याज से आय	कुल आय
2011–12	5722235	2285694	8007929
2012–13	5369569	2386444	7756013
2013–14	5450972	3288041	8739013
कुल जोड़	**16542776**	**7960179**	**24502955**

7 बिना लेन–देन वाले बैंक बचत खाता को जारी रखने तथा नया बैंक बचत खाता खोलने का औचित्य स्पष्ट न करने बारेः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विपणन समिति द्वारा जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक नौणी में जो बचत खाता संख्या 101434029000002 खोला गया है उसमें अंकेक्षण अवधि के दौरान छः माही बचत खाता/सावधिक जमा ब्याज जमा के अतिरिक्त अन्य कोई भी वित्तीय लेन–देन नहीं हुआ है तथा इसमें दिनाँक 31.03.2014 को ₹16361/– अन्तिम शेष में अनुपयुक्त पड़ी थी जिससे यह बचत खाता निष्क्रिय प्रतीत होता है। अतः इस बचत खाते को बिना वित्तीय लेन–देन के जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा आन्तरिक जाँच के उपरान्त इस खाते को

बन्द करके इसमें जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि को पौंटा स्थित समिति के बचत खाते में हस्तांतरण करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा IDBI Bank पौंटा साहिब में एक नया बचत खाता संख्या 1177104000018355 खोला गया है जिसका कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है क्योंकि समिति का पहले ही हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में बचत खाता शुरू से ही चल रहा है। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी ज्यादा से ज्यादा धन राशि प्रदेश के सहकारी बैंक में ही जमा रखने के अनुदेश जारी किए गए है। अतः ऐसी स्थिति में IDBI बैंक में एक नया बचत खाता और खोलने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस खाते को बन्द करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 बजट में अनुमोदित प्रावधित राशि से अधिक ₹5.40 लाख का अधिक व्यय करना:—

अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** में उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख के अवलोकन पर विदित हुआ कि विपणन समिति द्वारा निम्न विवरण अनुसार अनुमोदित बजट से अधिक राशि व्यय की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए अधिक व्यय की गई राशि को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः—

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	अनुमोदित बजट	वास्तविक व्यय	बजट से अधिक व्यय से राशि
2011—12	Repair & Maintenance	100000	199800	99800
	25% Board Share	2500000	2810078	310078
2013—14	T.A.	130000	143242	13242
	Printing & Stationary	16800	17119	319
	Furniture & Fixtures	159500	199241	39741
	25% Board share	2600000	2676679	76649
		कुल योग		₹539859

9 अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल विपणन समिति द्वारा विपणन बोर्ड में ₹3.68 लाख अधिक जमा करना:—

हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्यानिकीय उपज (विकास एवम विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 49 (3) के अनुसार "Every Committee out of its fund, shall pay to the Board, 25% of the total market fee collected under section 44 during the year, to meet the expenses of the establishment of the Board and Expenses incurred in execution of the functions

assigned to the Board under the Act." परन्तु अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं व अभिलेख के अवलोकन से विदित हुआ कि समिति द्वारा निम्न विवरण के अनुसार बोर्ड को उक्त अधिनियम में प्रावधित 25**%** से अधिक राशि जमा करवाई गई थी जोकि वर्णित अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस अनियमितता का समाधान करने हेतु अब अधिक जमा की गई राशि को बोर्ड को भविष्य में जमा करने हेतु देय राशि से समायोजित करके किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

वित्तीय वर्ष	**कुल प्राप्त विपणन शुल्क**	**बोर्ड को जमा विपणन शुल्क का हिस्सा**	**25% की दर से जो हिस्सा जमा होना देय बनता था**	**अधिक जमा हिस्से की राशि**
2011—12	10426696	2606674	2810070	203396
2012—13	10705973	2676493	2775203	98710
2013—14	10441268	2610317	2676679	66362
		कुल योग		**368468**

10 दुकानों/गोदामों के प्राप्त किराये पर नियमानुसार देय सेवाकार को किरायेदारों से न वसूलने के कारण सरकारी खजाने को ₹188305/— की आय की हानि का होनाः—

चयनित माह में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि विपणन समिति द्वारा दुकानों/गोदामों के प्राप्त किराये पर नियमानुसार देय सेवाकर की वसूली नहीं की जा रही थी। उदाहरण स्वरूप समिति द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2013—14 में किराये के रूप में ₹1523500/— की आय प्राप्त हुई थी जिस पर प्रचलित दर 12.36**%** से सेवा कर की ₹188305/— का सम्भावित राशि देय बनती थी परन्तु उक्त राशि को किरायेदारों से नहीं वसूला गया। अतः सेवादार को न वसूलने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा परामर्श दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में संस्था पर आवश्यक छानबीन करने तथा यदि आवश्यक हो तो सम्बन्धित अथौरिटी से भी स्पष्टीकरण प्राप्त करके यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या वास्तव में ही इन व्यवसायिक संस्थाओं अथवा दुकानों/गोदामों के किरायेदारों से नियमानुसार सेवाकर की वसूली करनी अपेक्षित है और यदि यह वसूली करनी अनिवार्य है तो नियमानुसार देय सेवाकार की वसूली करनी सुनिश्चित की जाये ताकि किसी

भी प्रकार के दंड शुल्क की सम्भावना से बचा जा सके और सरकारी आय की भी हानि न हो। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 दुकानों/गोदामों से प्राप्त होने वाले किराये की ₹257782/– का वसूली योग्य शेष पाया जानाः–

विपणन समिति द्वारा विभिन्न स्थानों पर व्यवसायियों/कारोबारियों को मासिक किराये पर आंबटित दुकानों/गोदामों से प्राप्त होने वाले मासिक किराये की राशि देय तिथि को नियमित रूप से प्राप्त नहीं की जा रही थी जिसके कारण दिनाँक 31.03.2014 तक किराये की ₹257782/– वसूली हेतु शेष थी, जैसा कि विपणन समिति द्वारा **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाए गए विवरण से स्पष्ट हो जाता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि मासिक किराये की राशि नियमित रूप से देय तिथि को प्राप्त करने बारे ठोस प्रयास किये जाएं तथा देरी से किराया जमा करवाने वाले किरायेदारों से अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दंड शुल्क भी वसूला जाये ताकि दुकानदारों से किराये की समयानुसार वसूली सुनिश्चित हो सके और किराये की वसूली योग्य राशि भी शेष न रहे। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 माँग व संग्रहण लेखों में त्रुटियों के कारण व्यवसायियों से दुकानों/गोदामों से मासिक किराये ₹6006/– की कम वसूली करनाः–

विपणन समिति द्वारा उपलब्ध करवाए गए विवरण में विदित होता है कि निम्न वर्णित प्रकरणों में माँग व संग्रहण लेखों/रसीदों में किराये की राशि एवं अवधि गलत दर्ज करने से सम्बन्धित त्रुटियों के कारण कम किराया वसूल किया गया था। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा मासिक किराये की वसूली योग्य शेष राशि बारे उपलब्ध करवाए गए उक्त विवरण में भी इस राशि की गणना नहीं की गई थी। अतः अब पूर्ण छानबीन के उपरान्त कम वसूल की गई किराये की ₹6006/– की वसूली सम्बन्धित व्यवसायियों से सुनिश्चित करके समिति की निधि से भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विवरण	माँग व संग्रहण रजिस्टर पृ0सं0	रसीद संख्या/ दिनाँक	किराये की अवधि	किराये की दर (प्रतिमाह)	देय किराया	प्राप्त किराया	अन्तर	अभियुक्ति
मै0 कमल राज, दुकान संख्या 1 (ददाहू)	41	0297699/ 27.03.14	7/13 से 9/13=3महीने	1230	3690	2460	1230	Still due for 9/13

मै0 हरी नारायण, दुकान संख्या 5 (सराहाँ)	14	15245 / 04.08.11	10 / 10 से 6 / 11=9 महीने	700	6300	4200	2100	Less Collected
मै0 चक्रधर भण्डारी, दुकान संख्या 6 (सराहाँ)	18	15244 / 04.08.11	12 / 10 से 6 / 11=7महीने	700	4900	4200	700	Less Collected
मै0 मोहित फ्रूट कम्पनी, दुकान संख्या 1 (बागथन)	1	26941 / 02.03.13	9 / 12 से 12 / 12= 4महीने	1260	5040	3780	1260	Less Collected
मै0 आनन्द परमार, दुकान संख्या 4 (बागथन)	59	21041 / 28.02.12	7 / 11 से 1 / 12=7महीने	500	3500	3000	500	Rent for 1/12 shown wrongly received in rentregister which is still due
मै0 अजित पाल सिंह, दुकान संख्या 6 (पौटा)	135	23558 / 10.07.12	5.06.12 से 30. 06.12=26दिन	6500	5633	5417	216	Less collected
			कुल जोड़		**23057**	**29063**	**6006**	

13 नियमानुसार किरायेदारों का किराया न बढ़ाने के कारण समिति को वित्तीय हानि को होनाः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन करने पर विदित हुआ की **परिशिष्ट "ङ"** पर वर्णित किरायेदारों से नियमानुसार तीन वर्षों की अवधि के उपरान्त भी किराया बढ़ाकर नहीं वसूला जा रहा था जबकि अनुबन्ध की शर्तानुसार ऐसा किया जाना अपेक्षित था। इस अनियमितता के कारण मण्डी समिति को जहाँ एक ओर लगातार वित्तीय हानि हो रही है वहीं दूसरी ओर समिति की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अन्य समरूप प्रकरणों सहित इस प्रकार के सभी प्रकरणों में नियमानुसार अनुबन्ध की शर्तानुसार निर्धारित समय अवधि के उपरान्त किराया बढ़ाकर इसकी वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 तहसीलदार वसूली के माध्यम से निर्धारित की गई किराये की राशि में से किराये की ₹55545 / – का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

मण्डी समिति के सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि समिति द्वारा निम्नविवरणानुसार तहसीलदार वसूली के माध्यम से निर्धारित की गई वसूली योग्य किराये की

कुल ₹180485/– में से ₹124940 की वसूलियाँ कर ली गई थी जबकि ₹55545/– की वसूली अभी भी शेष थी जिसकी अब उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:–

क्रमाँक	दुकानदार का नाम व दुकान सं0	दुकान संख्या	आरम्भिक शेष 01.04.11	अवधि 4/11 से 3/14 तक के दौरान वसूली गई राशि	वसूली योग्य शेष राशि
1	श्री दिनेश कुमार	1	8005	3000	5005
2	श्री राम कृष्ण	4	48100	44600	3500
3	श्री नित्यानन्द	2	32200	20900	11300
4	श्री हरी नारायण	5	20000	20000	शून्य
5	श्री चक्रधर भण्डारी	3	38640	33440	5200
6	श्री अशोक कुमार	6	33540	3000	30540
	कुल जोड़		**180485**	**124940**	**55545**

15 अनुबन्ध की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार दुकानदारों द्वारा दुकानों का किराया विलम्ब से जमा करवाने पर भी लगभग ₹2.70 लाख के देय दण्ड शुल्क (penality) की वसूली न करना:–

विपणन समिति द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर विदित हुआ कि किरायेदारों द्वारा दुकानों का मासिक किराया विलम्ब से जमा करवाने पर भी समिति द्वारा दुकानदारों से अनुबन्धों के प्रावधान के अनुसार दंड शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी। चयनित मासों के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित प्रकरणों में पाया गया कि इन दुकानदारों से अनुबन्धों के प्रावधान के अनुसार दंड शुल्क के रूप में निम्नानुसार शुल्क ₹270312/–देय बनती है तथा जिसकी समिति द्वारा वसूली नहीं की गई थी। दण्ड शुल्क की वसूली योग्य राशि का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "च"** पर भी दिया गया है परन्तु इस राशि की वसूली की वसूली न करने के कारण सम्बन्धित किरायेदार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों की उल्लंघना करके किराया देरी से जमा करने कोई भय/असर ही नहीं रह गया है। यदि समिति द्वारा अनुबन्ध की शर्तों को कड़ाई से लागू किया गया होता तो किराया भी समय पर प्राप्त हो सकता था और साथ में ब्याज/दण्ड शुल्क के रूप में आय भी प्राप्त हो सकता था। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उचित

छानबीन करने के उपरान्त ₹270312/– की दंण्ड शुल्क की वसूली के अलावा अन्य समरूप चूककर्ताओं (Defaulters) किरायेदारों के प्रकरणों की भी अपने स्त्तर पर जाँच करने के साथ–2 उनसे देय दण्ड शुल्क की गणना करके तदानुसार अपेक्षित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रमाँक	किरायेदार का विवरण/किराया रजिस्टर पृ0सं0	दंड शुल्क की देय राशि
1	मै0 कुमार फ्रूट कम्पनी, दुकान संख्या 1 (पौंटा साहिब)/1	4406
2	मै0 जनता फ्रूट कमपनी, दुकान संख्या 4 (पौंटा साहिब)/16	32040
3	मै0 आमिर हसन एण्ड ब्रदर्स, दुकान संख्या 7 (पौंटा साहिब)/31	43892
4	मै0 अली हसन एण्ड ब्रदर्स, दुकान संख्या 8 (पौंटा साहिब)/36	41472
5	मै0 देशमेश फ्रूट कम्पनी, दुकान संख्या 9 (पौंटा साहिब)/41	22832
6	मै0 बनारसी दास सोहन लाल, दुकान संख्या 11 (पौंटा साहिब)/51	47220
7	मै0 सुभाष चन्द एण्ड ब्रदर्स, कैंटीन सीडियों के नीचे (पौंटा साहिब)/61	22128
8	मै0 गुरू नानक वेजिटेबल कमपनी, दुकान संख्या 10 (पौंटा साहिब)/46	22852
9	मै0 हरी राम अशोक कुमार, दुकान संख्या 4 ब्लाक II (पौंटा साहिब)/127	21590
10	मै0 अजित पाल सिंह, दुकान संख्या 6 ब्लाक–II (पौंटा साहिब)/135	11880
	कुल योग	**₹270312**

16 लाईसैन्स धारकों द्वारा लाईसैन्स का नवीनीकरण न करवाने पर भी समिति द्वारा कोई कार्यवाही न करना:–

विपणन समिति द्वारा **परिशिष्ट "छ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना/सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर विदित हुआ कि अंकेक्षण अवधि के दौरान वर्ष 2011–12 में 20, 2012–13 में 26 तथा 2013–14 में 16 अर्थात कुल 62 लाईसैन्स धारकों के लाईसैन्सों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था जिस सम्बन्ध में समिति द्वारा नियमानुसार उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख को प्रस्तुत नहीं किए गए। चर्चा के दौरान मौखिक तौर पर अंकेक्षण को सूचित किया गया कि वर्णित लाईसैन्स धारकों के विरूद्ध नियमानुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है। वास्तव में लाईसैन्स धारकों द्वारा लाईसैन्स का नवीनीकरण न करवाए जाने के कारणों की छानबीन की जानी

चाहिए थी कि क्या इन लाईसैन्सधारकों द्वारा कारोबार बंद कर दिया है अथवा उनके द्वारा बिना लाईसैन्स के ही कारोबार जारी रखा गया है और यदि उनके द्वारा बिना लाईसैन्स के ही कारोबार जारी रखा गया है तो लागू नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जानी अपेक्षित थी जैसे कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्यानिकीय उपज (विकास एवम विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 45 (3) के अन्तर्गत चक्रवृद्धि मण्डी शुल्क वसूलना, हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्यानिकीय उपज (सामान्य) नियमावली 2006 के नियम 7 (2) के अन्तर्गत लाईसैन्स का नवीनीकरण समय पर न करवाने हेतु दण्ड शुल्क लगाना इत्यादि। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा वर्णित लाईसैन्स धारकों के विरूद्ध पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त लागू नियमों/अधिनियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 कृषि उपज के क्रय–विक्रय का रजिस्टर का रख–रखाव न करना व पंजीकृत फर्मों से देय मण्डी शुल्क का निर्धारण न करनाः–

चयनित माह में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि विपणन समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्योनिकीय उपज (सामान्य) नियमावली 2006 के नियम 37 (2) के अन्तर्गत प्रावधित कृषि उपज के क्रय–विक्रय रजिस्टर (विहित प्रपत्र "W") अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को मौखिक तौर पर सूचित किया गया कि समिति द्वारा वर्णित रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा था और न ही इस नियम के अन्तर्गत पंजीकृत फर्मों से देय मण्डी शुल्क का निर्धारण (Assessment) ही किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है। वर्णित अभिलेख के अभाव में अंकेक्षण में इस तथ्य की सत्यापना नहीं की जा सकी कि वास्तव में फर्मों से कितना मण्डी शुल्क देय बनता था, कितना मण्डी शुल्क वसूला किया गया तथा कितना मण्डी शुल्क अभी वसूली हेतु शेष बचा है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्णित अभिलेख का रख रखाव नियमानुसार करके अपेक्षित कार्रवाई एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18 प्राप्त आय की राशि में से लेखों में ₹8356/– की कम गणना करनाः–

चयनित माह में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में प्राप्त आय की रोकड़ प्राप्ति रजिस्टर में कम गणना की गई थी तदानुसार ही राशि बैंक में भी कम ही जमा हुई थी। अतः अब इस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन के

उपरान्त कम गणना की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके समिति की निधि से भरपाई की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रमाँक	रसीद संख्या/दिनाँक	रोकड़ प्राप्ति रजिस्टर पृ0सं0	प्राप्त राशि	गणना में ली गई राशि	कम गणना में ली गई राशि
1	24433/26.09.12	42 (Nahan)	501	50	451
2	29978/28.07.13	97 (Nahan)	4750	475	4275
3	21737/02.09.12	(Paonta Sahib)	100	शून्य	100
4	21738/02.09.12	(Paonta Sahib)	780	शून्य	780
5	21739/20.09.12	(Paonta Sahib)	700	शून्य	700
6	21740/01.12.12	(Paonta Sahib)	700	शून्य	700
7	21741/06.12.12	(Paonta Sahib)	50	शून्य	50
8	21742/13.12.12	(Paonta Sahib)	700	शून्य	700
9	21743/00.03.13	(Paonta Sahib)	600	शून्य	600
				कुल जोड़	₹8356

19 रसीदों की कार्यालय प्रति को कार्बन की अपेक्षा इंक से भरने सम्बन्धी अनियमितताः—

चयनित माह में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में प्राप्त आय की रसीदों की कार्यालय प्रति कार्बन की अपेक्षा इंक में भरी गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है तथा ऐसे में आय के किसी प्रकार के pilferage की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जाये तथा भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति रोकने हेतु उचित पग उठाये जायें और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रमाँक	रसीद सं0/दिनाँक	व्यक्ति का नाम	गाड़ी संख्या	प्राप्त राशि
1	0295580/27.07.13	Mr. Kamal	HR 58A/2806	780
2	0295661/शून्य	Not legible	HP 17A/9276	100
3	0295488/16.07.13	Not legible	HP71/821	820
4	0295074/19.07.13	Sh. Brij Pal	Not mentioned	960
5	24377/18.09.12	Sh. Suresh Kumar	HR 37B/8101	300

20 **चैक पोस्ट/बैरियरों पर वसूल किये जा रहे चक्रवृद्धि शुल्क की निर्धारित दर की अपेक्षा कम दर से वसूली करने के कारण ₹35430/– की सम्भावित हानि का होनाः–**

चयनित माह में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख एवम सचिव, कृषि उपज विपणन समिति द्वारा **परिशिष्ट"ज"** पर उपलब्ध करवाए अभिलेख के अंकेक्षण पर पाया गया कि उक्त प्रकरणों में चैक पोस्ट/बैरियरों पर वसूल किये जा रहे चक्रवृद्धि शुल्क की निर्धारित दर की अपेक्षा कम दर से वसूली करने के कारण समिति को ₹35430/– की आय की सम्भावित हानि हुई है जिस बारे पूर्ण छानबीन करने के उपरान्त नियमानुसार उचित कार्रवाई करते हुए अपेक्षित राशि की समिति की निधि में भरपाई की जाये तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान चयनित माह के अतिरिक्त अन्य माहों में भी ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करके समरूप कार्रवाई करने के साथ–साथ भविष्य में सही दर से चक्रवृद्धि शुल्क वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

21 **चक्रवृद्धि शुल्क की वसूली हेतु जारी की जा रही रसीदों पर पूर्ण विवरण जैसे वस्तु का नाम, भार व मूल्य इत्यादि अंकित न करनाः–**

चयनित माह में प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख तथा सचिव, कृषि उपज विपणन समिति द्वारा **परिशिष्ट "ज"** पर उपलब्ध करवाई गई निर्धारित दरो से सम्बन्धित सूचना/अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में चक्रवृद्धि शुल्क की वसूली हेतु जारी की गई रसीदों से पूर्ण विवरण जैसे वस्तु का नाम, भार व मूल्य इत्यादि अंकित नहीं किया गया था जिसके अभाव में अंकेक्षण में यह सत्यापना सम्भव नहीं हो सकी कि प्राप्त चक्रवृद्धि शुल्क की राशि सही थी या नही? अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए इसे नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में ऐसी अनियमितता की पुनरावृति रोकने के लिए आवश्यक पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाये और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः–

चयनित माह	रसीद संख्या
03/2012	21646 से 66, 21669, 20185 से 89, 20196 से 92, 20200 से 203, 20207 से 21, 20225 से 27, 20231 से 34, 20236 से 37, 20239 से 45, 20248 व 50 से 52, 20256 से 69, 20276 से 82, 20284 से 20303, 20304 से 7, 20311 से 17, 20895 से 98 व 20900, 20905, 20908, 20910 व 20912, 20915 से 21, 20923 व 24, 20927, 20929

	व 30, 20932 से 36, 20938 से 49
09/2012	21732, 21737 से 43, 25723, 24401 व 2, 24408 से 12, 24414 से 20, 24425 से 30, 24432 से 35, 24437 से 39, 24442 से 44, 24449 से 52, 24221 से 26, 24229, 24233 व 34, 24246, 24248, 24253 व 54, 24256, 24266 से 72, 24276 से 78, 24286 से 91, 24294 से 96, 24305 से 08, 24310, 24312 व 13, 24318 से 22, 24335 से 37, 24341 व 42, 24347 से 51, 24357, 24361 से 67, 24369 व 70, 24373, 24375 से 77, 24382 से 85, 24392 से 24400, 22046
07/2013	28695 व 96, 28699, 28702, 28724, 28742 व 43, 28745, 28751 व 52, 28754 से 64, 28771, 28774, 28777, 28779, 28786, 28792 से 28800, 0295511 से 13, 0295521 व 22, 0295528 व 29, 0295584 व 85, 0295594, 29438 से 44, 29448 व 49, 29452 व 53, 29455 व 56, 29463 से 68, 29471 से 73, 29480 से 84, 29491 से 96, 2950 व 03, 29509 से 17, 29521 से 23, 29525 व 26, 29537 व 38, 29540 से 42, 29546 से 49, 29556 से 58, 29565 से 69, 29581 से 83, 29587, 29589 से 96, 29809 से 14, 29818 से 20, 29832, 29834 से 42, 29852 से 55, 29870 से 73, 29875, 29884 से 88, 29890 व 91, 29901 से 05, 29907, 29914 व 15, 29923 से 32, 29939 से 42, 29948 से 51, 29956, 29965 व 66, 29991 से 93, 0295644, 0295657, 0295659, 0295664, 0296129 से 31, 0296135, 0296139 से 41, 0295414 से 16, 0295419 व 20, 0295423, 0295431, 0295433 से 48, 0295450, 0295465, 0295473, 0295477 व 78, 0295480, 0295482, 0295485 से87, 0295490 से 94, 0295498, 0295004, 0295006, 0295017, 0295031 व 32, 0295039, 0295041, 0295043, 0295045, 0295047 से 61, 0295063 से 66, 0295068 से 71, 0295093, 0295098, 0295718, 0295720, 0295725 व 26, 0295730 व 31, 0295733, 0296005, 0296012, 0296014, 0296016, 0296019, 0296022, 0296033, 0296040, 0296047 व 48, 0296061, 0296205 से 08 0296210, 0296235 व 36, 0295244 व 45, 0295251, 0295263, 0295269, 0295273, 0295278, 0295281 व 82, 0295287, 0295289, 0295295, 0295301 से 07, 0295309 व 10, 0295312, 0295334 से 38, 0295340 व 41, 0295343 से 50, 0295354, 0295356, 0295360, 0295376, 0295378 से 86, 0295388, 0295390 से 97

22 वेतन निर्धारण के उपरान्त देय अगली वार्षिक वेतन वृद्धि से गलत वेतन नियतन के कारण ₹55291/– के वेतन व भत्तों का अनियमित भुगतान करनाः–

समिति द्वारा श्री सुमेर चन्द तोमर तथा श्री कुलदीप सिंह, लिपिकों को कार्यालय आदेश संख्या HMB(B)2-35/2004-527 दिनाँक 23.01.08 द्वारा बतौर कनिष्ठ सहायक

अपरिशोधित वेतनमान (4400–7000) में क्रमशः दिनाँक 07.01.08 व 17.01.08 से placement प्रदान की गई थी। उस समय से उनकी अगली वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि दिनाँक 01.07. 08 थी तथा वे ₹4140 का वेतन आहरण कर रहे थे। अपरिशोधित वेतनमान में इन कर्मचारियों का वेतन (4400–7000) के नयूनतम स्त्तर ₹4400 पर निर्धारित किया गया था और अगली देय वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि 01.07.08 निर्धारित की गई थी, जबकि विवरणानुसार अगली वार्षिक 12 माह बाद देय बनती थी। कार्यालय आदेश संख्या HMB(B) 7-1/97 (1)-10649 दिनाँक 23.12.09 द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर इन कर्मचारियों का दिनाँक 01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमान (5900–20200+2800 ग्रेड पे) में भी देय न्यूनतम वेतन के स्त्तर (8370+2800 ग्रेड पे) पर क्रमशः दिनाँक 07.01.08 तथा 17.01. 08 को वेतनमान निर्धारित किया गया किन्तु उनकी अगली देय वार्षिक वेतन वृद्धि की निर्धारित तिथि 01.07.08 सही नहीं थी क्योंकि अगली वेतन वृद्धि नियमानुसार 12 माह बाद दिनाँक 01.01.09 को देय बनती थी जैसा कि वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या Fin(PR)-B(7)-1/2009-III-Loose दिनाँक 11.07.12 के अन्तर्गत भी स्पष्ट किया गया है कि "Date of increment on placement as Junior Assistant is to be allowed on completion of 12 months from the date of such placement if it is below the minium of the pay in the band of placement pay scale of junior Assistant." । अतः इनके वेतन का निर्धारण निम्नविवरण के अनुसार किया जाना अपेक्षित थाः–

दिनाँक	विवरण	वेतन जो निर्धारित होना चाहिए था	अभियुक्ति
07.01.08 / 17.01.08	Pay drawn as clerk in the pay scale of ₹3120-5160 revisd to pay band ₹5900-20200+1900GP	4140 (unrevised) 7830+1900GP=9730 (revised)	Date of next annual increment 01.07.08
07.01.08	Pay fixed on placement as Junior Assistant in the pay Scale of ₹4400-7000 revised to pay band ₹5900-20200+2800GP	4400 (unrevised) 8370+2800 GP=11170 (revised) (minimum Pay)	Date of Annual increment to be fixed 01.01.09
01.01.09	Annual increment	8710+2800GP=11510	
01.01.10	Annul increment	9060+2800GP=11860	
01.01.11	Annul increment	9420+1300GP=12220	
01.01.12	Annual increment	9790+2800GP=12590	
07.01.12	Pay on grant of ACP benefit	10170+3000GP=13170 (Notional with financial benefit w.e.f 09.08.12)	ACP benefit of higher grade pay of ₹3000 on

			completion of 4 years of service granted vide office order No. (B) HMB 2-1497/III-10884 dated 08-01-14
01.10.12	Pay on revision of post wise pay band/grade pay ₹10300-34800+3600GP	10300+3600GP=13900 (Minimum) DNI 01.10.13	Granted vide office order No. (B) MBH 797/1-III-864 dated 22.04.13
01.10.13	Annual increment	10720+3600GP=14320	

उक्त वर्णित अनियमितता के कारण उन्हें दिनाँक 30.6.14 तक निम्नविवरण के अनुसार ₹55291/— के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया जा चुका था जिसकी नियमानुसार पूर्ण छानबीन करके निर्धारित वेतन में यथानुसार संशोधन किया जाये और अधिक भुगतान की गई राशि की उचित उनसे वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(1) श्री सुमेर चन्द, कनिष्ठ सहायक

अवधि	देय वेतन (प्रतिमाह)	आहरित वेतन (प्रतिमाह)	अन्तर	महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान
01.07.08 to 31.12.08=6m	8370+2800=11170	8710+2800=11510	340	54/(16%)	2364
01.01.09 to 30.06.09=6m	8710+2800=11570	8710+2800=11570	Nil	-	-Nil-
01.07.09 to 31.12.09=6m	8710+2800=11510	9060+2800=11860	350	95/(27%)	2670
01.01.10 to 30.06.10=6m	9060+2800=11860	9060+2800=11860	-Nil-	-Nil-	-Nil-
01.07.10 to 31.12.10=6m	9060+2800=11860	9420+1300=12220	360	162/(45%)	3132
01.01.11 to 30.06.11=6m	9420+1300=12120	9420+1300=12120	-Nil-	-Nil-	-Nil-
01.07.11 to 31.12.11=6m	9420+1300=12220	9790+2800=12590	370	215/(58%)	3510
01.01.12 to 30.06.12=6m	9790+2800=12590	9790+2800=12590	-Nil-	-Nil-	-Nil-
01.07.12 to 08.08.12=1m8D	9790+2800=12590	10170+2800=12970	380	274/(72%)	823
09.08.12 to 30.09.12=1m23D	10170+3000=13170	10570+3000=13570	400	288/(72%)	1198
01.10.12 to 31.12.12=3m	10300+3600=13900	10570+3600=14170	270	194/(72%)	1392

01.01.13 to 30.06.13=6m	10300+3600=13900	10570+3600=14170	270	216/(80%)	2916
01.07.13 to 30.09.13=3m	10300+3600=13900	10570+3600=14170	270	243/(90%)	1539
01.10.13 to 30.06.14=9m	10720+3600=14320	11000+3600=14600	280	252/(90%)	4788
HRA 09.08.12 to 30.09.13=11m23D	350	400	50	--	587
				जोड़	**24919**
		CPF 10% (नियोक्ता का हिस्सा) अभिदान			**2433**
				कुल जोड़	**27352**
(2) श्री कुलदीप सिंह, कनिष्ठ सहायक					
अवधि	देय वेतन (प्रतिमाह)	आहरित वेतन (प्रतिमाह)	अन्तर	महंगाई भत्ता	अधिक भुगतान
01.07.08 to 31.12.08=6m	8370+2800=11170	8710+2800=11510	340	54/(16%)	2364
01.01.09 to 30.06.09=6m	8710+2800=11570	8710+2800=11570	Nil	-	-Nil-
01.07.09 to 31.12.09=6m	8710+2800=11510	9060+2800=11860	350	95/(27%)	2670
01.01.10 to 30.06.10=6m	9060+2800=11860	9060+2800=11860	-Nil-	-Nil-	-Nil-
01.07.10 to 31.12.10=6m	9060+2800=11860	9420+1300=12220	360	162/(45%)	3132
01.01.11 to 30.06.11=6m	9420+1300=12120	9420+1300=12220	-Nil-	-Nil-	-Nil-
01.07.11 to 31.12.11=6m	9420+1300=12220	9790+2800=12590	370	215/(58%)	3510
01.01.12 to 30.06.12=6m	9790+2800=12590	9790+2800=12590	-Nil-	-Nil-	-Nil-
01.07.12 to 08.08.12=1m8D	9790+2800=12590	10170+2800=12970	380	274/(72%)	823
09.08.12 to 30.09.12=1m23D	10170+3000=13170	10570+3000=13570	400	288/(72%)	1198
01.10.12 to 31.12.12=3m	10300+3600=13900	10570+3600=14170	270	194/(72%)	1392
01.01.13 to 30.06.13=6m	10300+3600=13900	10570+3600=14170	270	216/(80%)	2916
01.07.13 to 30.09.13=3m	10300+3600=13900	10570+3600=14170	270	243/(90%)	1539
01.10.13 to 30.06.14=9m	10720+3600=14320	11000+3600=14600	280	252/(90%)	4788
HRA 09.08.12 to 30.09.13=11m23D	600	500	100	--	1174
				जोड़	**25506**
		CPF 10% (नियोक्ता का हिस्सा) अभिदान			**2433**
				कुल जोड़	**27939**

23 श्री राघव सूद, सचिव को गलत दर से वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के कारण ₹533/– के वेतन का अधिक भुगतान करनाः–

श्री राघव सूद को कार्यालय आदेश संख्याः HMB(B)6-5/2009 दिनाँक 16.02.10 द्वारा अनुबन्ध के आधार पर सचिव के पद पर ₹10830/– के Fixed वेतन पर नियुक्त किया गया था जिसका पदभार उनके द्वारा दिनाँक 05.03.10 को ग्रहण किया गया था। तत्पश्चात वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्याः Fin(C)B(7) 5/2009 दिनाँक 03.12.09 द्वारा जारी अनुदेशों के दृष्टिगत, कार्यालय आदेश संख्या HMB(B) 6-5/09 दिनाँक 31.05.10 द्वारा उनका वेतन सचिव के पद 01.01.06 से लागू संशोधित वेतनमान 10300+34800+5000 ग्रेड पे में संशोधित करके उक्त वेतनमान के न्यूनतम स्त्तर 10300+5000 ग्रेड पे=₹15300 पर निर्धारित किया गया था। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या Fin(c)-B(7)-5/09 दिनाँक 22.11.13 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के दृष्टिगत उन्हें समय–समय पर देय अगली वार्षिक वेतनवृद्धि की 3**%** दर से (15300X3**%**)=₹459 भी Fixed ही रहनी चाहिए थी किन्तु इन अनुदेशों के विपरीत उन्हें दिनाँक 01.03.11, 01.03.12 व 01.03.13 को क्रमशः 460, 480 व 487 (ECR पृष्ठ 67, 88 व 101) के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत करके वेतन का लाभ प्रदान किया गया जिसके कारण उन्हें दिनाँक 06.08.13 अर्थात स्थानान्तरण तिथि तक निम्नानुसार ₹533 के वेतन का अधिक भुगतान हो चुका था जिसकी वसूली अब सम्बन्धित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

अवधि	**आहरित वेतन**	**देय वेतन**	**अन्तर**	**अधिक भुगतान की राशि**
01.03.11 से 28.02.12=12महीने	15760	15759	1	12
01.03.12 से 28.02.13=12 महीने	16240	16218	22	264
01.03.13 से 06.08.13=5 महीने 6 दिन	16727	16677	50	257
			कुल जोड़	**₹533**

24 अस्थाई अग्रिम, ₹45000/– के समायोजन में पाई गई अनियमितताऐं (वाउचर संख्या 76, दिनाँक 26.07.12)

श्री राघव सूद, सचिव कृषि उपज समिति पौंटा साहिब को ₹45000/– का अस्थाई अग्रिम उप मण्डी यार्ड नौहराधार व हरिपुरधार का शिलान्यास कार्यक्रम जोकि दिनाँक 06.07.12 व 07.07.12 को आयोजित किया गया, के दौरान व्यय को वहन करने हेतु वाऊचर संख्या 64 दिनाँक 06.07.12 द्वारा अस्थाई अग्रिम प्रदान किया गया था। उक्त अग्रिम में से किए गए खर्चो में अन्य खर्चों के अतिरिक्त इसमें निम्न वर्णित व्यय शामिल थाः–

क्रमाँक	आपूर्तिकर्ता का विवरण	बिल संख्या व दिनाँक	क्रयवस्तु की मात्रा	क्रय दर	राशि
CEMENT					
1	M/S R.S. Traders, Dadahu	125/07.07.12	5 bag	320+ Labour	1600 50
2	-do-	127/07.07.12	5 bag	320+ Labour	1600 50
		Total			**3100**
(B) SAND					
1	M/S Anil Kumar, Vill. Pabber, P.O. Jamaana, Paonta	12/06.07.12	35ft	40 per ft.	1400
2	-do-	13/06.07.12	35ft	40 per ft.	1400
		Total			2800
(C) AGGREGATE					
1	-do-	12/06.07.12	30ft	50 per ft.	1500
2	-do-	13/06.07.12	30ft	50 per ft.	1500
		Total			**3000**
(D) BRICKS					
1	M/S Ashoka Traders, Dadahu	232/07.07.12	440 Nos.	6.50 per brick +Labour	2860 100
2	-do-	233/07.07.12	440 Nos.	6.50 per brick +Labour	2860 100
				Totla	5920
(E) LABOUR (Wages)					4600
				Grand Total	₹18620

उक्त किये गये व्यय से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना सें अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेः—

(क) क्रय किये गये सीमेन्ट, बजरी तथा रेत के बिल में न तो प्राप्ति का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया था और न ही सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि की गई थी।

(ख) सीमेन्ट, रेत, बजरी व ईटों को क्रय करने से पूर्व विहित औपचारिकतायें जैसे निविदायों को आमन्त्रित करना इत्यादि, पूर्ण नहीं की गई थी जिसके अभाव में समिति को बाजार प्रतियोगिता दरों से होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः एकल निविदा पर इन वस्तुओं का क्रय का औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इसे नियमित करवाया जाये।

(ग) क्रय किये गये सीमेन्ट, रेत, बजरी व ईटों की उपभोग, विवरणी/माप पुस्तिका/विस्तृत माप विवरण इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में इस तथ्य की सत्यापना नहीं की जा सकी कि क्रय की गई इन वस्तुओं का विहित उद्देश्य हेतु ही उपयोग किया गया था अथवा नही? इसके अतिरिक्त इस तथ्य की भी पुष्टि नहीं की जा सकी कि विहित उद्देश्य के लिए कितनी मात्रा उपयोग हुई और कितनी मात्रा शेष बची है। अतः वर्णित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके इनका सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(घ) सीमेन्ट व ईटों का क्रय दिनाँक 07.07.12 को किया गया था। अतः इन वस्तुओं का उपयोग क्रय तिथि से एक दिन पूर्व दिनाँक 06.07.12 को किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ङ) कृत कार्य हेतु भुगतान की गई ₹4600/– की मजदूरी की औचित्यता का विवरण व सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र कि भुगतान की गई मजदूरी निष्पादित कार्य के मूल्य से अधिक नहीं थी, नहीं दिया गया था जिसे भी आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करके इसका सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(च) आहरित अस्थाई अग्रिम ₹45000/– में से केवल ₹39465/– ही खर्च हुए थे तथा शेष ₹5535/– उद्देश्य पूर्ति की तिथि अर्थात दिनाँक 07.07.12 के 19 दिनों के उपरान्त वापिस जमा करवाई गई थी जबकि नियमानुसार शेष बची राशि उद्देश्य पूर्ति के तुरन्त बाद कार्यालय को लौटाई जानी अपेक्षित थी। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इस अनियमितता को भी नियमित करवाया जाये।

25 प्रतिभूति राशि के लिए अलग से लेखा/रजिस्टर तथा बैंक खाते का रख–रखाव न करना तथा प्रतिभूति राशि को समिति की किराया आय में वर्गीकृत करके समिति निधि में जमा करनाः–

चयनित माह की आय के अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि किराये पर दी गई दुकानों से सम्बन्धित निम्नविवरण के अनुसार विभिन्न दुकानदारों से प्रतिभूति की राशियाँ प्राप्त हुई थी जिसे समिति निधि में जमा किया गया था तथा प्राप्त प्रतिभूति राशि के लिए लेखा/रजिस्टर का रख–रखाव भी नहीं किया जा रहा था जबकि इसका लेखा–जोखा अलग से रखने के साथ–साथ प्रतिभूति रजिस्टर का भी रख–रखाव किया जाना अपेक्षित था क्योंकि हिमाचल प्रदेश कृषि एवम औद्योनिकीय उपज (विकास एवम विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा 49 (2) तथा हिमाचल प्रदेश कृषि एवम

औद्यानिकीय उपज (वित्तीय) नियमावली 2007 के नियम 11 के अनुसार प्राप्त प्रतिभूति की राशि को समिति निधि का हिस्सा नहीं है। चर्चा के दौरान अंकेक्षण को सूचित किया गया कि नियमों की अनभिज्ञता के कारण इन राशियों को अलग से प्रतिभूति रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में परामर्श दिया जाता है कि इस प्रतिभूति की राशियों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की वापसी योग्य शेष प्रतिभूति राशियों का रख रखाव नियमानुसार किया जाए तथा इसका विस्तृत लेखा–जोखा प्रतिभूति रजिस्टर में करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रमाँक	प्रतिभूति राशि जिससे प्राप्त हुई	विवरण	रसीद संख्या व दिनाँक	प्राप्त राशि
1	श्री सुजान सिंह, पौंटा साहिब	Received against canteen allotment	21534 / 26.03.12	5000
2	श्री मृदुल शर्मा, पौंटा साहिब	Received against allotment of shop	25520 / 06.09.12	10000
3	मै0 अजमेर अली, पौंटा साहिब	Received against allotment of shop	25572 / 15.09.12	57000
			Total	**₹72000**

26 टैक्सी की यात्रा पर निर्धारित सीमा से ₹3292 का अधिक व्यय करनाः–

हिमाचल प्रदेश विपणन बोर्ड के पत्र संख्या एच0एम0बी0 / ओ0एस0 / 2–13 / 96–3518 दिनाँक 26.07.2000 द्वारा उन मण्डी सचिवों, जहाँ कार्यालय की अपनी गाड़ी उपलब्ध नहीं थी, को टैक्सी से यात्रा करने की स्वीकृत प्रदान की गई। इसके लिए वित्तीय शक्तियों की सीमा ₹36000 / – से बढ़ाकर ₹50000 / – वार्षिक की गई थी। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन से विदित हुआ कि वर्ष 2013–14 में टैक्सी से यात्रा करने पर ₹53292 / – का व्यय स्वीकृत किया गया था जोकि निर्धारित व्यय सीमा से ₹3292 / – अधिक था जिसे अब पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

27 मिश्रित अनियमितताओं के कारण ₹2201 / – का अधिक भुगतान करनाः–

चयनित माह के व्यय भुगतान वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण के दौरान पाई गई निम्नलिखित अनियमितताओं के कारण मण्डी समिति द्वारा ₹2201 / – का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली अब उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(क) यात्रा भत्ता के रूप में ₹317/– का अधिक भुगतान करनाः–

(वाउचर संख्या 93, दिनाँक 01.09.12, ₹3497)

(i) श्री आई0डी0 गुप्ता, मार्किट सुपरवाईजर द्वारा दिनाँक 07.07.12 को सुबह 11 बजे से सायं 3 बजे तक नौहराधार से मुख्यालय नाहन को वापसी यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें ₹160/– ठहराव का पूरा दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें 70**%** की दर से ठहराव दैनिक भत्ता व 30**%** दर से यात्रा दैनिक भत्ता देकर ₹134/– का भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार उन्हें ₹26 का अधिक भुगतान किया गया।

(ii) इसी प्रकार उनके द्वारा दिनाँक 21.08.12 को सुबह 8 बजे से सायं 7:30 बजे तक नाहन से कालाघाट तथा वापिस मुख्यालय नाहन को यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें ₹160/– ठहराव का पूरा दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें 70**%** यात्रा दैनिक भत्ता ₹50 का भुगतान बनता था। इस प्रकार उन्हें ₹110/– का अधिक भुगतान किया गया।

(iii) श्री धनी राम कौंडल, वरिष्ठ सहायक द्वारा दिनाँक 02.07.12 को सुबह 10 बजे से सायं 6 बजे तक पौंटा साहिब से शिमला को यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें ₹160/– ठहराव का पूरा दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें केवल ₹72/– का ही यात्रा दैनिक भत्ता ही देय बनता था। इस प्रकार उन्हें ₹88/– का अधिक भुगतान किया गया।

(iv) इसी प्रकार उनके द्वारा दिनाँक 04.07.12 को सुबह 10:20 बजे से सायं 4:30 बजे तक शिमला से मुख्यालय पौंटा साहिब को वापिसी यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें ₹160/– ठहराव का पूरा दैनिक भत्ता प्रदान किया गया जबकि उन्हें 70**%** की दर से ठहराव दैनिक भत्ता व 30**%** दर से यात्रा दैनिक भत्ता के हिसाब से ₹134/– देय बनता था। इस प्रकार उन्हें ₹26/– का अधिक भुगतान किया गया।

(V) श्री कुंदन सिंह चौहान, सचिव द्वारा दिनाँक 22.01.13 को सुबह 11 बजे से सायं 6 बजे तक टैक्सी द्वारा पौंटा साहिब से काला अम्ब को तथा वापिस मुख्यालय पौंटा साहिब को यात्रा पूर्ण की गई जिसके लिए उन्हें वाउचर संख्या 162 दिनाँक 27.12.13 द्वारा 70**%** की दर से ठहराव का पूरा दैनिक भत्ता ₹126/– प्रदान किया गया जबकि उन्हें यात्रा की ₹84 का 70**%** की दर से यात्रा ₹59 ही देय बनता था। इस प्रकार उन्हें ₹67 का अधिक भुगतान किया।

(ख) टैक्सी द्वारा की गई यात्रा में वास्तविक दूरी की अपेक्षा अधिक दूरी दर्शाकर ₹360/– का अधिक भुगतान करनाः–

(वाउचर संख्या 103, दिनाँक 14.09.12, ₹3180)

चयनित माह के सम्बन्धित व्यय/भुगतानों वाउचर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि समिति द्वारा किराये पर ली गई टैक्सी के लिए निम्न विवरण के अनुसार तय यात्रा की वास्तविक दूरी की अपेक्षा अधिक दूरी दर्शाकर ₹360/– का अधिक भुगतान किया गया था जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

टैक्सी फर्म का नाम व बिल संख्या/दिनाँक	यात्रा का विवरण	भुगतान हेतु ली गई दूरी (कि0मी0)	वास्तविक दूरी (कि0मी0)	दूरी में अन्तर (कि0मी0)	भुगतान दर (कि0मी0)	अधिक भुगतान की राशि
Paras travels-Paonta Sahib 881/09.07.12	Paonta Sahib to Nahan & back	130	90	40	6	240
883/13.07.12	-do-	100	90	10	6	60
884/20.07.12	-do-	100	90	10	6	60
					कुल जोड़	₹360

(ग) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की ₹410 का अधिक भुगतान करनाः–
(वाउचर संख्या 155, दिनाँक 09.12.13, ₹3688)

चयनित माह के सम्बन्धित व्यय/भुगतान वाउचर के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री मुश्ताक अली, चपड़ासी को उनकी धर्मपत्नी का निजि संस्था से ईलाज करवाने के एवज में किए गए लैब टेस्टों की राशि का भुगतान सरकारी दरों पर सीमित किये बिना ही कर दिया गया था जिसके कारण उन्हें निम्न विवरण अनुसार ₹410/– का अधिक भुगतान हुआ था जिसकी वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

लैब का नाम व बिल संख्या/दिनाँक	लैब टैस्टों का विवरण	भुगतान की गई राशि	देय राशि	अधिक भुगतान
Shubh Clinical Laboratory Paonta Sahib 3032/22.11.13	B. Sugar (F), Uric Acid Hb,TLC, LC,RA Factor & Urine culture single	360	100	260
3060/27.11.13	T3, T4 & TSH	450	300	150
			कुल जोड़	₹410

28 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

समिति के भण्डार रजिस्टरों में चल–अचल सम्पत्ति/वस्तुओं के दर्शाए गए शेषों का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन सचिव, कृषि उपज विपणन समिति काँगड़ा द्वारा दिनाँक 20.9.12 व 21.09.12 को किया गया था तथा उसके उपरान्त अंकेक्षण समाप्ति की तिथि अर्थात 31.03.14 तक का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाना अभी बाकि था जबकि नियमानुसार हर वर्ष प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित है। अतः प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

29 लघु आपत्ति विवरणिका :– सभी लघु आपत्तियों का स्थन पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

30 निष्कर्षः– लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय–2 पर अध्यतन (updation) एवम पूर्ण करने व अनिर्णीत पैरों पर ठोस तथा तुरन्त कार्रवाई करने की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः –फिन(एल0ए0)सी(15)(14)41/76–खण्ड–6–965–968, दिनांक 26.02.2015, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत (1) सचिव, कृषक उपज समिति पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग भेजना सुनिश्चित करें।

(2) प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विपणन भवन खलीनी, शिमला–171002

(3) अवर सचिव (कृषि) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002.

(4) श्री हेमराज भारद्वाज, अनुभाग अधिकारी द्वारा.................................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "क"   पैरा संख्या 1 (ग)

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/74 से 3/84			
क्रमाँक	पैरा संख्या	विवरण	अभियुक्ति
1	पैरा 7	अंशतः निर्णीत	(उप नियम (3)–नियम 1971 के अनुसार ₹50 का भुगतान नहीं बनता था परन्तु कुछ राशियाँ वाऊचर संख्या 44, दिनाँक 03.03.03 द्वारा वसूली गई)
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/95			
1	पैरा 7	निर्णीत	(विपणन बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 22, दिनाँक 30.6.14 जोकि पत्र संख्या HMB (B)-1-56/97-II-3779 दिनाँक 30.7.14 द्वारा प्रेंषित किया गया, के अनुसार निर्णीत)
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/01			
1	पैरा 15	निर्णीत	(विपणन बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 29, दिनाँक 30.9.14 जोकि पत्र संख्या HMB (C)-15-8/2004-10640 दिनाँक 10.10.11 द्वारा प्रेंषित कार्योत्तर स्वीकृति के अनुसार निर्णीत)
2	पैरा 28	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्र संख्या HMB EC/UC/-6276 दिनाँक 27.10.14 द्वारा प्राप्त कर लिए गए। अतः पैरा निर्णीत)
3	पैरा 32	अंशतः निर्णीत	(श्री चन्दन शर्मा से चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की ₹1114/– की वसूली बकाया है, बाकी कर्मचारियों से देय वसूलियाँ कर ली गई है)
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 3/03			
1	पैरा 16	निर्णीत	(उपयोगिता प्रमाण पत्र पत्र संख्या HMB EC/UC/-6276 दिनाँक 27.10.14 द्वारा प्राप्त कर लिए है। अतः पैरा निर्णीत)
2	पैरा 17	अनिर्णीत	
3	पैरा 23	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/03 से 3/06			
1	पैरा 5(ग)	निर्णीत	(अतिरिक्त निर्देशक की निरीक्षण रिपोर्ट दिनाँक 11.11.14 द्वारा निर्णीत)
2	पैरा 7(क)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
3	पैरा 7(ग)	निर्णीत	(–यथोपरि–)
4	पैरा 8	निर्णीत	(–यथोपरि–)
अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/06 से 3/11			
1	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की रसीद संख्या 0475590 दिनाँक 09.07.12 व 0475391 दिनाँक 15.11.11 द्वारा प्राप्त होने पर निर्णीत)
2	पैरा 4(i) व (ii)	निर्णीत	(वित्तीय स्थिति पुनः प्रारूपित)
3 (a)	पैरा 5 (i), (ii), (iii), (iv), (v)	निर्णीत	पैरा 5 (i)–(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थिति के अद्यतन करने पर पैरा निर्णीत/समाप्त)
			पैरा 5 (ii)–(सावधिक जमा निवेश पर देय ब्याज 6¼**%** FDR Receipt की फोटोकॉपी से सत्यापन करने तथा FDR की Pre Maturity पर 5.5**%** ब्याज प्राप्त होने के कारण निर्णीत)
			पैरा 5 (iii)–(सावधिक जमा ब्याज का लेखाँकन रोकड़ बही पृष्ठ 210 दिनाँक 31.3.11 को करने पर निर्णीत)
			पैरा 5 (iv)–(ब्याज की राशि का रोकड़ बही पृष्ठ 193 दिनाँक 20.1.11 को लेखाँकन करने पर निर्णीत)
			पैरा 5 (v)–(सावधिक जमा रजिस्टर का निर्माण नियमानुसार करने पर निर्णीत)
3 (b)	पैरा 5 (vi) & (vii)	अनिर्णीत	
4	पैरा 6 (i) (ii) & (iii) (क),(ख),(ग),(घ),(ङ)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	अनिर्णीत	
6	पैरा 8	अनिर्णीत	
7	पैरा 9	निर्णीत	(लाईसैन्स धारकों की सूची पत्र संख्या 1100 दिनाँक 30.6.12 द्वारा उप मण्डी/यार्डों को आपूर्ति किए जाने पर निर्णीत)

8	पैरा 10	निर्णीत	(मजदूरी व पानी के क्रय मूल्य पर बिक्री कर/सेवाकर न चार्ज करने सम्बन्धी वस्तुस्थिति के पुर्नावलोकन पर निर्णीत)
9	पैरा 11	अनिर्णीत	
10	पैरा 12	अंशतः निर्णीत	(श्री दिनेश कुमार से ₹5005, श्री राम कृष्ण से ₹3500 श्री नित्यानन्द से ₹11300, श्री चक्रधर भण्डारी से ₹5200/– तथा श्री अशोक कुमार से ₹30540=कुल ₹55545/– की वसूलियाँ शेष)
11	पैरा 13	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्थिति के अद्यतन करने पर पैरा निर्णीत/समाप्त)
12	पैरा 14	अनिर्णीत	
13	पैरा 15	अनिर्णीत	
14	पैरा 16(i)(ii)	अनिर्णीत	
15	पैरा 17	अनिर्णीत	
16	पैरा 18	निर्णीत	(भौतिक सत्यापन रिपोर्ट अवलोकन करने के उपरान्त निर्णीत)

अनिर्णीत पैरों का सार	
गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनुसार अनिर्णीत पैरे	29
वर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन में लगाए गए पैरे	(+) 26
वर्ष अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	(–) 11
अन्तशेष (दिनाँक 31.3.14 तक)	44